फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

नीम्बाराम

बनाम

अम्मेदाराम इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 108 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.2023	पत्रावली बाद जाचं होकर कार्यालय से पेश हई। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 69/2023 बअनवान निम्बाराम बनाम अम्मेदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 के विरूद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता के निवेदन पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की सामलाती कृषि भूमि है एवं उपरोक्त कृषि भूमि में अपीलांट का 1/28 हिस्सा निहित है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के जरिये केवल राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजी के मौके की स्थिति को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही आदेश दिनांक 03.07.2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 21 एवं 27 सें 31 को विद्युत कनेक्शन की छूट प्रदान कर दी है। बंटवाड़े के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2023 को संशोधित किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1547, 1548, 1415, 1417, 1416 ग्राम विश्वकर्मा नगर तहसील सेखाला की ताफैसला दावा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी का विशिष्ट भू–भाग दर्शाकर बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का अंतिम निस्तारण होना शेष है। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 7, 15, 21, 27 से 29 तथा 31 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। लिहाजा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से अपीलाधीन	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का युक्तियुक्त अवधि में अतिशीघ्र विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। 12.07.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर